

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—:: अधिसूचना ::—

पटना-15, दिनांक— /05/2026
संख्या-14/निजी-956/2024— /सा0प्र0-श्री दुर्गेश कुमार, बि0प्र0से0,
को0क्र0-339/26, उप सचिव, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना को बच्चों की परीक्षा एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों हेतु दिनांक-20.03.2026 से
दिनांक-19.05.2026 तक कुल-61 (इकसठ) दिनों की छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के
नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-546(23), दिनांक-
16.04.2026 द्वारा निर्गत छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री दुर्गेश कुमार, बि0प्र0से0,
को0क्र0-339/26, उप सचिव, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना को उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त कुल-300-61=239 दिनों की
उपार्जित छुट्टी आदेय होगी।

3. श्री दुर्गेश कुमार, बि0प्र0से0 को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय
परिपत्र संख्या-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिक-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से
लौटने के उपरांत वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह0/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-956/2024- ~~8174~~ /सा0प्र0 पटना-15, दिनांक- 11/05/2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार
राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम
से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0)
विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री दुर्गेश कुमार, बि0प्र0से0, उप सचिव, मुख्य जाँच
आयुक्त निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य
प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु)/प्रशाखा
पदाधिकारी, प्रशाखा-29 (चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।